



विधेयक से पाइरेसी रुकेगी

सिनेमेटोग्राफी (संशोधन) विधेयक, 2021 के जरिये सरकार उससे भी आगे जाकर फिल्म बनाने वालों की आजादी पर अंकुश लगाना चाहती है। इतना ही नहीं, सेक्शन 6 सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह शजनहित में कोई जानकारी या सूचना रोकने का भी फैसला कर सकती है।

सुंदर सिंह।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमेटोग्राफी (संशोधन) विधेयक, 2021 का मसौदा पेश किया है, जिसे लेकर अच्छा-खासा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार का दावा है कि इस विधेयक से पाइरेसी रुकेगी, जबकि फिल्म इंडस्ट्री का कहना है कि अगर यह विधेयक कानून बना तो इस देश में लोग क्या देखेंगे और क्या नहीं, यह सरकार ही तय करेगी। संशोधन विधेयक के मसौदे की जिस शर्त को लेकर (सेक्शन 6) सबसे अधिक विवाद है, वह कहती है कि किसी भी आने वाली फिल्म पर सरकार का फैसला अंतिम होगा, भले ही उसे पहले सेंसर बोर्ड या अपीलेंट ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिल चुकी हो। यह भी बताते चलें कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल

को भंग किया जा चुका है और इस

विधेयक के कानून बनने से सेंसर बोर्ड भी

बस नाम का ही रह जाएगा। यूं भी

सरकारें सेंसर बोर्ड में

राजनीतिक नियुक्तियां

करती आई हैं और

उसके जरिये फिल्मों

के कंटेंट को नियंत्रित

करने की कोशिशें होती

आई हैं। सिनेमेटोग्राफी

(संशोधन) विधेयक,

2021 के जरिये सरकार

उससे भी आगे जाकर

फिल्म बनाने वालों की आजादी पर

अंकुश लगाना चाहती है। इतना ही नहीं,

सेक्शन 6 सरकार को यह अधिकार भी

देता है कि वह शजनहित में कोई जानकारी

या सूचना रोकने का भी फैसला कर



दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोविजन

को सुप्रीम कोर्ट साल 2000

में एक केस में

असंवैधानिक

घोषित कर

चुका है।

अदालत ने तब

कहा था कि

अगर ट्रिब्यूनल

जैसी किसी

अर्ध-न्यायिक

संस्था ने कोई फैसला

लिया है तो उसमें

संशोधन या उसे बदलने की इजाजत

सरकार को नहीं दी जा सकती। हैरानी

की बात है कि इसके बावजूद इस सेक्शन

को विधेयक में शामिल किया गया है।

इसके लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि कई बार किसी फिल्म को मंजूरी देने में तय दिशानिर्देशों यानी सेक्शन 5बी के उल्लंघन की शिकायत मिलती है। प्रस्तावित विधेयक के कानून बनने पर सरकार उस फिल्म की फिर से समीक्षा का निर्देश दे सकती है।

सरकार का इशारा यहां फिल्म से कानून-व्यवस्था के प्रभावित होने को लेकर है, लेकिन शीर्ष अदालत इसे भी पहले खारिज कर चुकी है। कई मामलों में उसका मानना रहा है कि प्रदर्शन की धमकी या हिंसा के डर के कारण फिल्म सर्टिफिकेशन में दखल देना ठीक नहीं है। यह कानून-व्यवस्था की समस्या है और सरकार को इससे वैसे ही निपटना चाहिए। यूं भी इस तरह की बंदिशें भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए मुनासिब नहीं हैं।

परीक्षा

अशोक वोहरा।

नारद और

भगवान विष्णु ने

उन दोनों का

सारा वार्तालाप

सुना, फिर भी

परीक्षा के लिए

भोजन की थाली

पर बैठ गए।

जब दोनों भरपेट

भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे,

यह सीधा-साधा गृहस्थ भगवान का

सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है ?

उधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन

लाने की फरमाइश कर दी। बोले -

मेरा पेट अभी नहीं भरा। क्या और

भोजन मिलेगा ?

किसान रसोई घर में गया और

जाकर पत्नी से पूछा - कुछ और

भोजन बचा है क्या ?

पत्नी बोली - बच्चों के लिए कांजी

बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और

नारद वह भी पी गए। किसान और

उसके परिवार को भूखे ही सोना

पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आँचल थाम

कह उठे - माँ नौद नहीं आ रही है।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

प्रचार का राज

विपक्ष 2024 आम चुनाव से पहले ओबीसी वोटों के बीच अपनी पहुंच बना लेना चाहता है। उसका मानना है कि अगर वह ओबीसी वोटों में अपनी स्थिति नहीं सुधार सका तो उसके लिए आने वाले दिनों में दिक्कत और बढ़ेगी। ओबीसी वोटों तक पहुंच बनाने के लिए इन दलों के अंदर मजबूत ओबीसी नेतृत्व की भी जरूरत होगी। संख्या के लिहाज से भी यह सबसे बड़ा समूह है। हाल के दिनों में बीजेपी ने इस वोट समूह को अपने पक्ष में करने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। नेतृत्व में जगह भी दी है। पिछले दिनों जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सबसे अधिक ओबीसी नेताओं को ही जगह दी गई और इसे बहुत प्रचारित भी किया गया। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से देश की सियासत में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं, जिनसे ओबीसी राजनीति केंद्र में आ गई। पहले जातीय जनगणना की मांग को मुद्दा बनाया गया। तमाम क्षेत्रीय दल इस मांग को लेकर बीजेपी पर दबाव बढ़ाने लगे तो इसका असर सरकार पर भी दिखा। समांतर रूप से रोहिणी कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। इसके तहत मोदी सरकार ओबीसी कोटे में 27 फीसदी रिजर्वेशन के अंदर कोटा तलाशने की कोशिश पिछले तीन सालों से कर रही है।

ओबीसी नेतृत्व को अपने पाले में करने की कोशिश का असर चुनावी राज्यों में भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी अपनी पुरानी सियासी गलती का अहसास हो रहा है।

मुद्दों पर सियासत

नरेंद्र नाथ।।

पिछले कुछ दिनों से ओबीसी और इससे जुड़े मुद्दों पर सियासत केंद्र में आ गई है। इसका असर राजनीतिक दलों के अंदर संगठन और नेतृत्व पर भी पड़ने लगा है। सभी दलों के अंदर ओबीसी नेताओं की पूछ बढ़ने लगी है। संगठन में ओबीसी की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, ओबीसी वोट को प्रभावित करने वाले छोटे-छोटे दलों को भी अपने पक्ष में करने के लिए तमाम बड़े राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल अचानक सक्रिय हो गए हैं। सभी दलों का आकलन है कि 2024 में जिस सियासी टीम में जितने मजबूत ओबीसी खिलाड़ी होंगे, उसे उतना ही लाभ मिलेगा और वह चुनावी पिच पर बेहतर स्कोर कर पाएगी।

ओबीसी नेतृत्व को अपने पाले में करने की कोशिश का असर चुनावी राज्यों में भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी अपनी पुरानी सियासी गलती का अहसास हो रहा है। मुलायम सिंह यादव के समय ओबीसी का बड़ा तबका समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन बाद में इसमें यादव और गैर-यादव ओबीसी के बीच दूरी बढ़ती गई और एसपी का यह वोट छिटक कर बीजेपी के पास चला गया। बीजेपी ने मौका देखकर 2017 में गैर-यादव ओबीसी का तकरीबन सारा वोट अपने पक्ष में



कर लिया और बड़ी जीत हासिल की। इस बार अखिलेश यादव ओबीसी की इन छोटी-छोटी जातियों के बीच खोया जनाधार पाने के लिए इनके नेताओं तक पहुंच बना रहे हैं। उधर, बीजेपी अपनी पकड़ किसी भी सूरत में कम करने को तैयार नहीं है। राज्य में चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, संजय चौहान जैसे नेताओं की बढ़ती पूछ भी इसी ट्रेंड का परिणाम है।

बीजेपी कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके सम्मान के बहाने अपने ओबीसी नेताओं को एक मंच पर करने की कोशिश कर रही है। वहीं, मायावती ने अपनी पार्टी के अंदर ब्राह्मण और ओबीसी नेताओं को अधिक तरजीह देने की रणनीति बनाई है। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव में टिकट बंटवारे में ओबीसी नेताओं को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है। उसी तरह अभी छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंह देव के बीच सीएम पद को लेकर

गुटबाजी हुई तो बघेल का मजबूत ओबीसी नेता होना ही उनके पक्ष में गया। पार्टी के अंदर आम राय बनी कि मौजूदा माहौल में बघेल जैसे ओबीसी नेता को अस्थिर करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। उधर, बीजेपी नेतृत्व छत्तीसगढ़ में संदेश दे रहा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो कोई ओबीसी ही सीएम बनेगा। बंगल के राज्य मध्य प्रदेश में भी ओबीसी केंद्रित राजनीति अभी केंद्र में है। जहां कांग्रेस जीतू पटवारी जैसे युवा नेताओं को प्रमोट कर रही है, वहीं शिवराज सिंह चौहान खुद को ओबीसी नेता बताते हुए सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं।

बिहार में आरजेडी ने ओबीसी को अपने पक्ष में करने के लिए विशेष अभियान तक छेड़ दिया है। पार्टी ने कहा कि ओबीसी चेहरों को मीडिया से लेकर मंच तक अधिक से अधिक मौका देगी। तेजस्वी यादव के सामने भी अखिलेश यादव की तरह गैर-यादव ओबीसी को जोड़ने की चुनौती है। बिहार में तेजस्वी यादव ने भी मुस्लिम-यादव के अपने पारंपरिक समीकरण से निकलकर पार्टी में ओबीसी नेताओं को अधिक तरजीह देने की रणनीति बनाई है। उधर, नीतीश कुमार एक बार फिर से खुद को ओबीसी नेता के रूप में स्थापित करने के लिए एक के बाद एक कई राजनीतिक दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं।

अद्योग-5063				
5	3	7	4	
34	6	33	1	33
5		6		2
1	26	2	29	4
4		6	7	3
30	4	37		33
2		5	3	

अद्योग 5062 का हल						
3	5	4	6	7	1	2
2	33	1	34	6	30	5
5	6	7	1	2	3	4
4	42	2	25	1	22	6
7	6	5	4	3	2	1
6	36	6	34	4	31	3
1	2	3	4	5	6	7

अपना ब्लॉग

ओबीसी जातियों की पहचान

मोहन। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश इन राज्यों में भी अभी ओबीसी चेहरों को कांग्रेस और बीजेपी तरजीह देने की रणनीति बना रही है। हालांकि बीजेपी ने नीट की परीक्षा में ओबीसी को लंबित आरक्षण और संविधान के 102 वें संशोधन में बदलाव कर ओबीसी जातियों की पहचान के लिए राज्यों को अधिकार देकर काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन चुनौतियां शेष हैं। साथ ही, विपक्षी दलों को अहसास है कि बीजेपी की आक्रामक कमंडल राजनीति को वे मंडल राजनीति से ही काउंटर कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ओबीसी राजनीति आम चुनाव से पहले और प्रमुखता से सामने आएगी और आरक्षण बढ़ाने की मांग एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। ऐसे में इस मसले पर अधिकतम सियासी लाभ लेने के लिए सभी दलों को अपनी टीम भी नए सिरे से गठित करनी पड़ रही है।

